अध्याय-I

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

अध्याय -I

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में राज्य की सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमें सम्मिलित हैं। राज्य के सा.क्षे.उ. की स्थापना लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए की गई है।

1.2 झारखण्ड राज्य में 31 मार्च 2012 को 12[1] सरकारी कम्पनियाँ तथा एक सांविधिक निगम (सभी कार्यरत) थे। कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंजो में सूचीबद्ध नहीं थी। सितम्बर 2012 तक अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार वर्ष 2011-12 में राज्य के सा.क्षे.उ. ने ₹ 2,139.72 करोड़ का आवर्त्त प्राप्त किया। यह आवर्त्त 2011-12 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 1.72[2] प्रतिशत था। वर्ष 2011-12 के दौरान सा.क्षे.उ. ने उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कुल ₹ 786.68 करोड़ का घाटा वहन किया। 31 मार्च 2012 को इन्होंने कुल 7,588 कर्मचारियों को नियोजित किया था।

1.3 राज्य के सा.क्षे.उ. में 29 विभागीय उपक्रमें (वि.उ.) जो वाणिज्यिक क्रियाकलापों को कार्यान्वित करते हैं किन्तु वे सरकारी विभागो के अंग हैं तथा एक स्वायत्त संस्थान, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा.रा.वि.नि.आ.) जिसका एकमात्र लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हैं, शामिल नहीं हैं।

1.4 वर्ष 2011-12 के दौरान एक सा.क्षे.उ.[3] स्थापित हुआ और कोई भी सा.क्षे.उ./सांविधिक निगम बन्द नहीं हुआ।

---

[1] झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.डी.सी.), झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको), झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जिडको), झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.), ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड (जी.आर.डी.ए.), झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट), झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.डी.सी.), तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.वी.एन.एल.), कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड (के.ई.एल.), झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जे.टी.डी.सी.), झारखण्ड राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड (जे.एस.बी.सी.एल), झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल.) तथा झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.)।

[2] प्रतिशत राज्य के वर्ष 2011-12 के जी.डी.पी. के आँकड़ों पर आधारित है, जो नवम्बर 2011 के वर्तमान मूल्यों (नई श्रृखंला) पर लिया गया है।

[3] जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल.।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.5 सरकारी कम्पनियों का लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार अधिशासित होता है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसका प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 *प्रतिशत* सरकार/सरकारों द्वारा धारित हो। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी सम्मिलित होती है।

1.6 राज्य के सरकारी कम्पनियों के लेखों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार सी.ए.जी. द्वारा की जाती है।

1.7 सांविधिक निगम (झा.रा.वि.बो.) का लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 के द्वारा अधिशासित है तथा इसका सी.ए.जी. एक मात्र लेखापरीक्षक है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.8 31 मार्च 2012 को 13 सा.क्षे.उ. (एक सांविधिक निगम सहित) में ₹ 6,192.40 करोड़ का कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) था। विस्तृत ब्यौरा निम्न तालिका में दिये गये हैं –

(₹ करोड़ में)

सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुल योग
पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	
170.10	1157.42	1327.52	-	4864.88	4864.88	6192.40

राज्य के सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश के सारांशकृत स्थिति का ब्यौरा ***परिशिष्ट-1*** में दिये गये हैं।

1.9 31 मार्च 2012 को सा.क्षे.उ. में कुल निवेश का 2.75 *प्रतिशत* पूँजी में और 97.25 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋणों में था। सा.क्षे.उ. में निवेश 142.75 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ वर्ष 2006-07 में ₹ 2,550.95 करोड़ से वर्ष 2011-12 में ₹ 6,192.40 करोड़ हो गया, जैसा कि निम्न रेखाचित्र में दिखाया गया है।

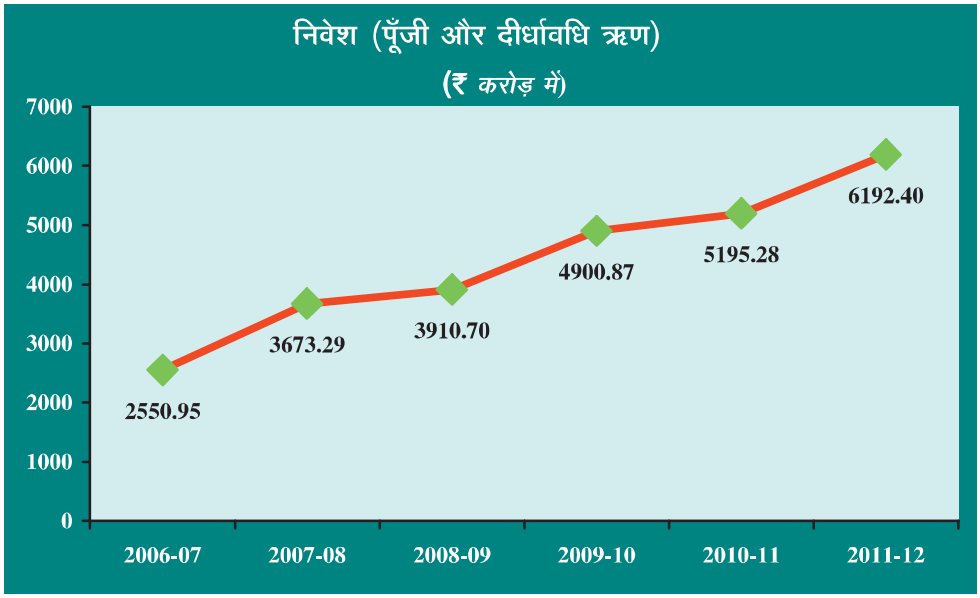

1.10 31 मार्च 2007 तथा 31 मार्च 2012 के अन्त तक विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनके प्रतिशत निम्न बार चार्ट में प्रकट किये गये हैं।

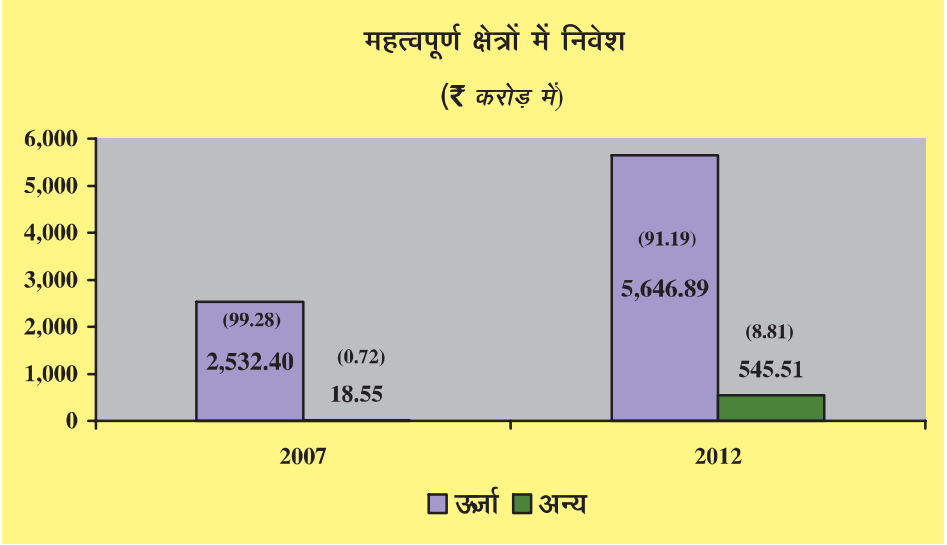

(कोष्ठक में आँकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं)

सा.क्षे.उ. में निवेश का जोर मुख्यतः विद्युत क्षेत्र में था। पिछले छः वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश बढ़ते प्रवृति को दर्शाता है। यह वर्ष 2006-07 में ₹ 2,532.40 करोड़ से 122.99 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 5,646.89 करोड़ हो गया जो सरकार एवं अन्य निकायों के द्वारा मुख्यतः झा.रा.वि.बो. और टी.वी.एन.एल. को दिये ऋण के कारण हुआ।

अंश पूँजी, अनुदान/सहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण से संबंधित बजटीय जावक

1.11 राज्य के सा.क्षे.उ. के संबंध में मार्च 2012 के अन्त में अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का विस्तृत ब्यौरा ***परिशिष्ट-3*** में दिये गये हैं।

वर्ष 2011-12 को समाप्त हुये तीन वर्षों का अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का सारांशीकृत ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	सा.क्षे.उ. की संख्या[4]	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बजट से अंश पूँजी जावक	4	2.75	3	3.00	4	20.50
2.	बजट से दिये गये ऋण	1	362.76	1	313.55	2	408.91
3.	अनुदान/सहाय्य प्राप्ति	2	401.80	3	450.58	1	750.00
4.	**कुल जावक**		**767.31**		**767.13**		**1179.41**

1.12 पिछले छः वर्षों में अंश पूँजी, ऋण और अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का विस्तृत ब्यौरा निम्न रेखाचित्र में दर्शाये गये हैं:

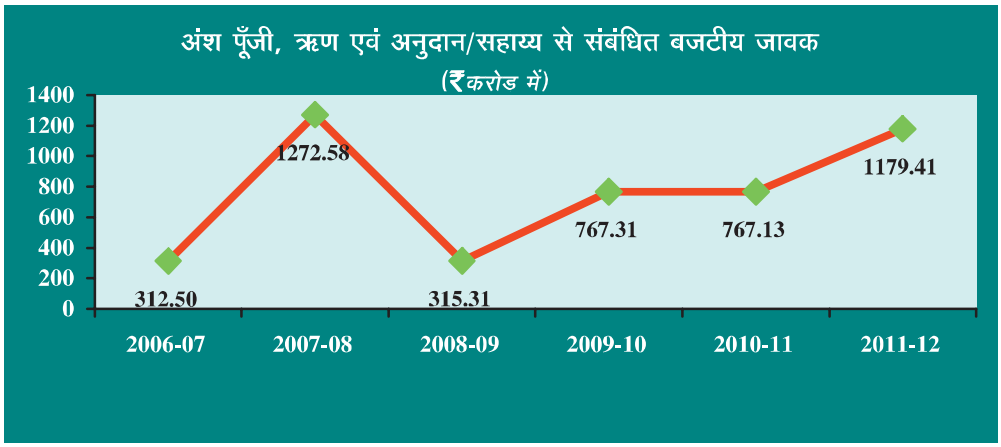

झा.रा.वि.बो. को सहाय्य के रूप में बजटीय सहायता (₹ 750 करोड़) तथा जे.एस.एफ. सी.एस.सी.एल. में निवेश (₹ 243.96 करोड़) करने के कारण, बजटीय जावक, वर्ष 2010-11 में ₹ 767.13 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 1,179.41 करोड़ हो गया।

[4] कुल जावक सा.क्षे.उ. के कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है (जी.आर.डी.ए., झारक्राफ्ट, जे.टी.डी.सी., जे.एस.बी.सी.एल, जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल तथा झा.रा.वि.बो.)।

वित्त लेखों के साथ समाधान

1.13 राज्य के सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति से संबंधित आँकड़े राज्य के वित्त लेखों में अंकित आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो संबंधित सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग द्वारा अन्तर का समाधान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2012 तक की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

(₹ *करोड़ में*)

संबंधित बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
अंश पूँजी	26.30	170.05	143.75
ऋण	6579.71	5702.40	877.31

1.14 हमने पाया कि आठ[5] सा.क्षे.उ. के आँकड़ों में अन्तर पाया गया और इन अन्तरों का समाधान 2001-02 से ही लम्बित था। यद्यपि वित्त लेखों में दर्ज और सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि के अंतर को पिछले वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों मे प्रतिवेदित किया गया था, राज्य सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

सा.क्षे.उ. का निष्पादन

1.15 सा.क्षे.उ. के वित्तीय परिणामों और सांविधिक निगम के वित्तीय स्थिति तथा कार्यपरिणामों का विस्तृत ब्यौरा क्रमशः ***परिशिष्ट - 2, 5 एवं 6*** में दिये गये है। राज्य के जी.डी.पी. से सा.क्षे.उ. के आवर्त्त का प्रतिशत राज्य की अर्थव्यवस्था में सा.क्षे.उ. के क्रियाकलापों के परिणाम को दिखाता है। निम्न तालिका 2006-07 से 2011-12 की अवधि में सा.क्षे.उ. के आवर्त्त साथ-साथ राज्य के जी.डी.पी. का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

(₹ *करोड़ में*)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आवर्त्त [6]	30.77	364.90	1552.32	1565.52	1442.90	2139.72
राज्य का जी.डी.पी.	73579	87620	75710.78	83077.90	108400.86	124160.16[7]
राज्य के जी.डी.पी. से आवर्त्त का प्रतिशत	0.04	0.42	2.05	1.88	1.33	1.72

राज्य की जी.डी.पी. के विरूद्ध सा.क्षे.उ. के आवर्त्त का *प्रतिशत* वर्ष 2010-11 में 1.33 से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 1.72 हो गया है। आवर्त्त का *प्रतिशत* भी परिवर्तनीय प्रवृति को दर्शा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान आवर्त्त में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

---

[5] टी.वी.एन.एल., जिडको, जे.टी.डी.सी., झारक्राफ्ट, जी.आर.डी.ए., जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल., झालको तथा झा.रा.वि.बो.।

[6] 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार आवर्त्त।

[7] आँकड़े राज्य के वर्ष 2011-12 के जी.डी.पी. पर आधारित है, जो नवम्बर 2011 के वर्तमान मूल्यों (नई श्रृखंला) पर लिया गया है।

1.16 2006-07 से 2011-12 के दौरान राज्य के सा.क्षे.उ. के द्वारा वहन किये गये सकल हानि (शुद्ध) ₹ 48.86 करोड़ से बढ़कर ₹ 786.68 करोड़ हो गई जैसा की निम्न रेखाचित्र में दिया गया है:

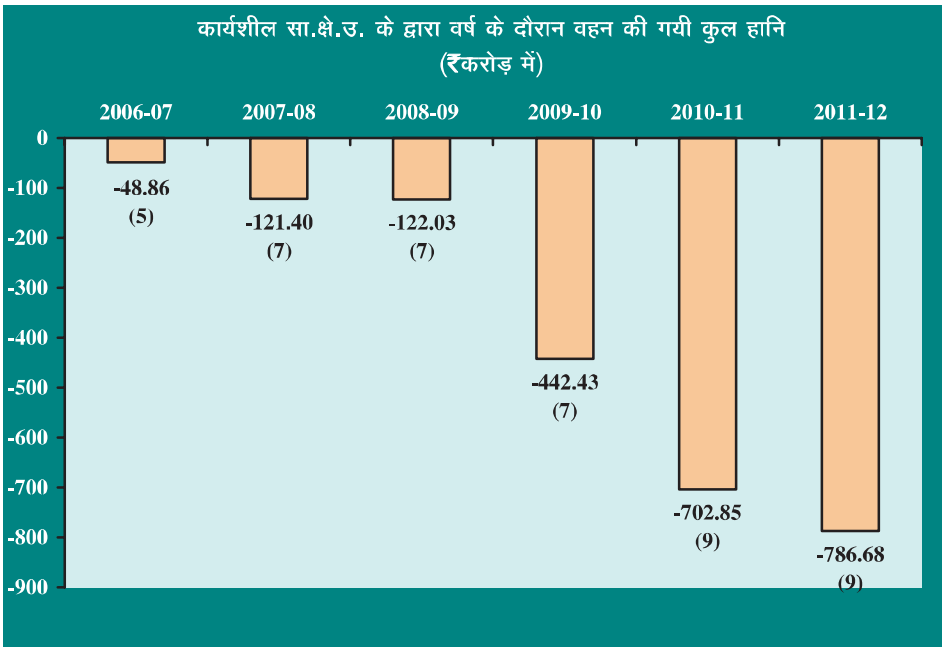

(अंतिमीकृत लेखों के आधार पर, कोष्ठक में आँकड़े संबंधित वर्ष में कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या दर्शाते हैं)

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 13 सा.क्षे.उ. में से पाँच[8] सा.क्षे.उ. ने ₹ 22.94 करोड़ का संचयी लाभ अर्जित किया जबकि चार[9] सा.क्षे.उ. ने ₹ 809.62 करोड़ की संचयी हानि वहन की। 2010-11 और 1995-96 के अंतिमीकृत लेखों के अनुसार क्रमशः झा.रा.वि.बो. (₹ 722.82 करोड़) और टी.वी.एन.एल. (₹ 86.59 करोड़) द्वारा भारी हानियाँ उठायी गयी। सितम्बर 2012 तक शेष चार[10] सा.क्षे.उ. ने अपना कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया।

1.17 सा.क्षे.उ. की हानि मुख्यतः वित्तीय प्रबंधन, योजना, उनके क्रियाकलापों के कार्यान्वयन, उनके संचालन और अनुश्रवण में कमियों के कारण आरोपित है। सी.ए.जी. के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सा.क्षे.उ. ने ₹ 4,280.54 करोड़ की हानियाँ वहन की एवं ₹ 57.19 करोड़ का निरर्थक निवेश किया। शुद्ध हानि, नियंत्रणीय हानि तथा निरर्थक निवेश का वर्ष-वार विवरण निम्न तालिका में दिये गये है:

[8] जे.एस.एफ.डी.सी., जे.पी.एच.सी.एल., झारक्राफ्ट, जे.एस.एम.डी.सी. तथा जे.टी.डी.सी.।
[9] झालको, जिडको, टी.वी.एन.एल. तथा झा.रा.वि.बो.।
[10] जी.आर.डी.ए., के.ई.एल., जे.एस.बी.सी.एल. तथा जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल.।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
शुद्ध हानि	442.43	702.85	786.68	1931.96
सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार नियंत्रणीय हानियाँ	1142.38	2650.89	487.27	4280.54
निरर्थक निवेश	0.41	46.17	10.61	57.19

1.18 सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गयी उपर्युक्त हानियाँ लेखापरीक्षा की नमूना जाँच पर आधारित है। वास्तविक नियंत्रणीय हानियाँ इससे कहीं अधिक हो सकती थी। उपरोक्त, सा.क्षे.उ. के कार्यकलापों में प्रभावशाली प्रबंधन एवं नियंत्रण एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत को इंगित करती है।

1.19 अधतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के सा.क्षे.उ. से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण मापदंड निम्न तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण	2537.65	3550.89	3774.90	4760.27	5050.68	6022.30
आवर्त्त [11]	30.77	364.90	1552.32	1565.52	1442.90	2139.72
ऋण/आवर्त्त अनुपात	82:1	10:1	2:1	3.04:1	3.50:1	2.81:1
ब्याज भुगतान	3.61	6.00	-	123.55	194.75	477.72
संचित हानि	42.90	265.45	269.30	589.81	1646.52	6385.11

1.20 राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति प्रतिपादित नहीं किया था जिसके अंतर्गत सभी सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रदत्त पूंजी पर न्यूनतम वापसी देना है। अपने अद्यतन अन्तिमिकृत लेखों के अनुसार पाँच[12] सा.क्षे.उ. ने ₹ 22.94 करोड़ का सकल लाभ अर्जित किया लेकिन कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

1.21 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 और 619-बी के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखाओं का समापन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः महीने के भीतर करना होता है। उसी तरह सांविधिक निगम के मामले में लेखों का समापन, लेखापरीक्षा और विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार होता है। नीचे दिए गए तालिका में कार्यरत सा.क्षे.उ. के विवरण तथा उनके लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति (सितम्बर 2012) को दर्शाता है:

[11] 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार सा.क्षे.उ. का आवर्त्त।

[12] जे.एस.एफ.डी.सी., जे.पी.एच.सी.एल., जे.टी.डी.सी., झारक्राफ्ट, तथा जे.एस.एम.डी.सी.।

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या	9	10	11	12	13
2.	वर्ष के दौरान अंतिमीकृत लेखों की संख्या	3	7	14	12	8
3.	बकाये लेखे की संख्या	43	48*	46*	46	52*
4.	प्रत्येक सा.क्षे.उ. का बकाया औसत(3/1)	4.78	4.80	4.18	3.83	4.00
5.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके लेखाओं का अंतिमीकरण होना बाकी था	9	10	11	12	13
6.	बकाये की सीमा (वर्ष)	1 से 14	1 से 15	1 से 16	1 से 17	1 से 16

1.22 2007-08 में नौ सा.क्षे.उ. के संदर्भ में बकाये लेखों की संख्या वर्षों के दौरान 43 से बढ़कर 2011-12 में 13 सा.क्षे.उ. के संदर्भ में 52 हो गयी थी।

1.23 राज्य सरकार ने नौ सा.क्षे.उ. में एक सांविधिक निगम सहित ₹ 1,390.21 करोड़ (अंश पूँजी ₹ 47.50 करोड़, ऋण ₹ 590.91 करोड़, अनुदान ₹ 751.80 करोड़) का निवेश उन वर्षों में किया जिनमें लेखें अंतिमीकृत नहीं हुये हैं जिसका विवरण ***परिशिष्ट-4*** में दिया गया है। लेखों और उनके अनुवर्त्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किये गए निवेश और व्यय का लेखा जोखा उचित तरीके से किया गया था एवं जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था उसकी प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार, सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश, राज्य के विधायिका के संवीक्षा से वंचित रहा। इसके अतिरिक्त, लेखाओं के अंतिमीकरण में विलंब से कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ सार्वजनिक कोष की धोखाधड़ी एवं बर्बादी के जोखिम की सम्भावना हो सकती है।

1.24 प्रशासनिक विभागों को इन इकाईयों के क्रियाकलापों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है और यह सुनिश्चित करना है कि ये सा.क्षे.उ. अपने लेखों का अंतिमीकरण एवं उनका अंगीकरण नियत अवधि में कर लिये हैं। यद्यपि, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं अधिकारियों को अगस्त 2011 में बकाया लेखों के अंतिमीकरण के तथ्य को आकृष्ट किया गया, पर कोई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप इन सा.क्षे.उ. के निवल परिसंपत्तियों का निर्धारण लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। अक्टूबर 2012 में प्रधान महालेखाकार द्वारा मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग का ध्यान इन लेखों के बकाया अंतिमीकरण हेतु भी आकृष्ट किया गया था एवं बकाये लेखों को समयबद्ध तरीके से शीघ्र निष्पादन की आवश्यकता को उजागर किया था।

* कुछ सा.क्षे.उ. के लेखों के सौंपने के कारण, इन सा.क्षे.उ. के लेखे एक से अधिक वर्ष तक बकाया हैं यथा 2008-09 - झारक्राफ्ट - 2 बकाया लेखे, 2009-10 - के.ई.एल. - 1 बकाया लेखे, 2011-12 - जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल. - 1 बकाया लेखे।

1.25 उपर्युक्त बकाये की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को इसका अनुश्रवण एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लेखों का समापन समय पर सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखों पर टिप्पणियाँ एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

1.26 वर्ष 2011-12 के दौरान छः कम्पनियों ने अपने आठ लेखाओं (बकाये लेखों सहित) को प्रधान महालेखाकार को 30 सितम्बर 2012 तक अग्रसारित किया। इसमें से तीन कम्पनियों[13] के तीन लेखाओं का पूरक लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दो लेखों पर आयोग्य प्रमाण पत्र एवं छः लेखों पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिये। सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और सी.ए.जी. के पूरक प्रतिवेदन इंगित करता है कि लेखाओं के रख-रखाव की गुणवत्ता में वृहद रूप से सुधार की जरूरत है। सी.ए.जी. के टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दिये गये हैः

क्र.सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	1	0.23
2.	लाभ में कमी	2	0.74	2	7.70	3	3.52
3.	हानि में वृद्धि	1	0.03	-	-	-	-
4.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	2	-	-	-	-	-

1.27 कम्पनियों के लेखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैः

***झारखण्ड राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड* (2004-05)**

- ₹ 5000 से कम मूल्य की वस्तुओं पर 100 प्रतिशत मूल्य ह्रास नहीं करने के कारण अचल सम्पत्तियों और लाभ को ₹ 1.48 लाख से अधिक आकलित किया गया।

***झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड* (2005-06)**

- ₹ 22.69 लाख ब्याज द्वारा अर्जित आय का लेखांकन नहीं करने के कारण वर्ष के लिए लाभ ₹ 22.69 से कम आकलित किया गया।
- ₹ 0.95 करोड़ के भारी भूमि चलित मशीन शुल्क तथा ₹ 2.21 करोड़ के किराया शुल्क में वृद्धि के कम प्रावधान के कारण ₹ 3.16 करोड़ लाभ अधिक आकलित किया गया।
- प्रारम्भिक व्यय को विकलित नहीं करने के कारण ₹ 26.44 लाख लाभ अधिक आकलित किया गया।

[13] झारक्राफ्ट, जे.एस.एम.डी.सी. तथा जे.टी.डी.सी.।

झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (2010-11)

- वर्ष 2010-11 के दौरान पूँजीगत अनुदान को राजस्व अनुदान के रूप में लेखांकन के कारण वर्ष के चालू दायित्वों एवं प्रावधानों और लाभ को ₹ 3 लाख से अधिक आकलित किया गया।

- वर्ष 2009-10 के दौरान जेनरेटर क्रय के लिए प्राप्त पूँजीगत अनुदान को राजस्व अनुदान के रूप में लेखांकन करने के कारण ₹ 4.72 लाख पूर्व अवधि के समायोजन एवं पूँजीगत अनुदान को कम तथा लाभ को अधिक आकलित किया गया।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के वार्षिक लेखे (झा.रा.वि.बो.)

1.28 वर्ष के दौरान, 2010-11 का वार्षिक लेखा झा.रा.वि.बो. से प्राप्त किया गया जिसका सी.ए.जी. एकल लेखापरीक्षक है। वर्ष 2010-11 तक के लेखों का लेखापरीक्षा पुरा हो चुका था। वर्ष 2005-06 से 2009-10 के लेखे 2010-11 के दौरान प्राप्त किये गये थे लेकिन पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ.ले.प्र.) 2011-12 में अंतिमीकृत किये गये। सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन यह इंगित करता है कि खातों के रख-रखाव की गुणवत्ता में वृहद सुधार की जरूरत है। झा.रा.वि.बो. के लेखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दिए गए हैं:

वर्ष 2005-06 के लेखे

- निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 110.87 करोड़ से कम आकलित किया गया -

  - प्रयोग करने योग्य कोयले के स्टॉक की दैनिक प्राप्ति एवं खपत प्रतिवेदन के वर्तमान दर पर विचार न करना - ₹ 42.23 करोड़।

  - तेल भंडार में शामिल अनुपयोगी तेल के लिए प्रावधान न करना - ₹ 1.28 करोड़।

  - अंतिम निपटान पर कुमारधुवी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड से अवसूलनीय राशि का समायोजन न करना - ₹ 4.67 करोड़।

  - कम प्राप्त कोयले का दावा सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.) से प्राप्य के रूप में लेखांकन यद्यपि इस प्रकार के दावे को पिछले वर्षों में सी.सी.एल. द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था - ₹ 14.09 करोड़।

  - बकाए अधिभार की राशि को विविध प्राप्य के रूप में लेखांकन यद्यपि इस प्रकार के दावे सी.सी.एल. द्वारा स्वीकार नहीं किये गये थे - ₹ 2.48 करोड़।

  - कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों से वसूलनीय राशि का लेखांकन जिसका कोई अभिलेख झा.रा.वि.बो. के पास उपलब्ध नहीं था एवं इस तरह वसूली की संभावना नगण्य थी - ₹ 1.31 करोड़।

- वर्ष 2005-06 के दौरान कर्मचारियों द्वारा सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.) में किए गए योगदान पर ब्याज का प्रावधान न करना - ₹ 60.15 लाख।

- वर्ष 2005-06 के लिए अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को देय ग्रेज्यूटी एवं पेंशन का कम प्रावधान करना - ₹ 43.07 करोड़।

- वर्ष 2005-06 के लिए रेलवे को देय विलम्ब शुल्क के बकाए खर्च का प्रावधान न करना - ₹ 1.14 करोड़।

वर्ष 2006-07 के लेखे

- निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 822.50 करोड़ से कम आकलित किया गया -

  - अंतिम निपटान के समय राज्य सरकार से वसूलनीय राशि का समायोजन न करना - ₹ 713.49 करोड़।

  - वर्ष 2006-07 के लिए अवकाश कर्मचारियों को देय ग्रेच्यूटी एवं पेंशन का कम प्रावधान - ₹ 88.69 करोड़।

  - समूह बचत योजना (जी.एस.एस.), 1986 के तहत प्राप्त निधि पर ब्याज भारित न करना - ₹ 9.75 करोड़।

  - सेवानिवृति लाभ जैसे जी.एस.एस. और अर्जित अवकाश का फरवरी एवं मार्च 2007 हेतु प्रावधान न करना - ₹ 1.15 करोड़।

  - चालू वर्ष एवं पिछले वर्षों (2001-02 से 2005-06) में कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज का प्रावधान न करना - ₹ 9.42 करोड़।

वर्ष 2007-08 के लेखे

- निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 368.98 करोड़ कम आकलित किया गया -

  - वर्ष 2007-08 में विविध देनदारों के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान नहीं करना - ₹ 231.32 करोड़।

  - इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.) के अतिरिक्त सुरक्षा जमा पर विलंबित भुगतान अधिभार (वि.भु.अ.) भारित करना अपितु ई.सी.एल. एक सरकारी उपक्रम होने के कारण अतिरिक्त सुरक्षा जमा करने हेतु बाध्य नहीं है - ₹ 1.07 करोड़।

  - सा.भ.नि. पर ब्याज का कम प्रावधान (चालू वर्ष ₹ 16.58 करोड़ तथा गत वर्ष ₹ 74.84 करोड़) - ₹ 91.42 करोड़।

  - वर्ष 2007-08 हेतु अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के देय ग्रेच्यूटी एवं पेंशन का कम प्रावधान - ₹ 45.17 करोड़।

वर्ष 2008-09 के लेखे

- निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 434.29 करोड़ कम आकलित किया गया -
    - मार्च 2009 में विद्युत की बिक्री से प्राप्त आय का लेखांकन न करना - ₹ 37.51 करोड़।
    - वर्ष 2008-09 में निवेश पर अर्जित ब्याज आय पर देय नहीं का लेखांकन न करना - ₹ 2.79 करोड़।
    - वर्ष 2008-09 में विविध देनदारों के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण का प्रावधान न करना - ₹ 271.33 करोड़।
    - वर्ष 2008-09 में 01.01.2006 से बकाया वेतन की राशि का लेखाबही में प्रावधान न करना - ₹ 168.38 करोड़।
    - वर्ष 2008-09 में ग्रेच्यूटी एवं पेंशन का कम प्रावधान - ₹ 34.88 करोड़।

वर्ष 2009-10 के लेखे

- निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 266.56 करोड़ कम आकलित किया गया -
    - वर्ष 2009-10 के लिए निवेश पर अनुपार्जित ब्याज का लेखाकरण न करना - ₹ 4.35 करोड़।
    - पूँजीगत प्रगतिशील कार्य का अचल सम्पत्ति में हस्तांतरण न करना, जो कि 31.03.2010 तक चालु हो चुका था - ₹ 8.56 करोड़।
    - दामोदर घाटी निगम द्वारा अप्रैल 2008 से अप्रैल 2009 के अवधि से संबंधित ईंधन लागत अधिभार (ई.ला.अ.) के दावे का प्रावधान न करना - ₹ 149.02 करोड़।
    - वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का कम प्रावधान - ₹ 21.65 करोड़।
    - राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (रा.गा.ग्रा.वि.यो.) के अंतर्गत प्राप्त निधि पर काल्पनिक ब्याज एवं वित्त प्रभार का पूँजीकरण - ₹ 91.68 करोड़।

वर्ष 2010-11 के लेखे

- निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 107.99 करोड़ कम आकलित किया गया -
    - प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के कार्यालय द्वारा दावा किए गए 2003-04 से 2010-11 अवधि का लेखापरीक्षा शुल्क का कम प्रावधान - ₹ 3.76 करोड़।

- झारखण्ड सरकार से अंतिम निपटान पर अवसूलनीय राशि पर विलंबित भुगतान अधिभार भारित करना - ₹ 6.00 करोड़।
- पावर ग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) द्वारा 2010-11 से संबंधित पूरक विद्युत क्रय बिल के दावे का प्रावधान न करना - ₹ 2.99 करोड़।
- सेंट्रल कोल फील्डस लिमिटेड से खरीदे गए कोयले पर स्वच्छ उर्जा उपकर ₹ 50 प्रति लाख टन (एम.टी.) की दर से तथा झारखण्ड मूल्य संबंर्धित कर चार प्रतिशत की दर से भारित न करना - ₹ 3.24 करोड़।
- जनवरी 2011 से मार्च 2011 तक कर्मचारियों के देय बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का प्रावधान न करना - ₹ 1.85 करोड़।
- रा.गा.ग्रा.वि.यो. के अंतर्गत प्राप्त निधि पर काल्पनिक ब्याज एवं वित्त प्रभार का पूँजीकरण - ₹ 92.68 करोड़।
- 01.04.2007 से 31.03.2010 की अवधि के लिए पी.जी.सी.आई.एल. को देय संचरण शुल्क का कम प्रावधान - ₹ 9.80 करोड़।
- वर्ष 2010-11 के लिए निवेश पर अर्जित ब्याज आय पर देय नहीं का लेखांकन न करना - ₹ 12.33 करोड़।

1.29 झा.रा.वि.बो. के लेखों पर सी.ए.जी. के टिप्पणी का कुल मौद्रिक मूल्य निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

क्र.सं.	विवरण	2011-12	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	3	56.98
2.	हानि में वृद्धि	6	2140.29
3.	आर्थिक तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	40.81
कुल		**6**	**2238.08**

सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ

1.30 सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउन्टेट) को सी.ए.जी. के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ए) के अन्तर्गत जारी किये गये दिशा निर्देशों के अंतर्गत उनके द्वारा लेखापरीक्षित की गई कम्पनियों के आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा उन क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ सुधार की आवश्यकता थी। 2011-12 के दौरान छः कम्पनियों[14] के अंतिमीकृत लेखों के संबंध में आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियंत्रण में संभावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा किये गये मुख्य टिप्पणियों का सारांश सोदाहरण निम्न तालिका में दिये गये है:

[14] जे.एस.एफ.डी.सी., जे.पी.एच.सी.एल., झारक्राफ्ट, जे.एस.एम.डी.सी., टी.वी.एन.एल. तथा जे.टी.डी.सी.।

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जहाँ अनुशंसाये की गई थी	परिशिष्ट-2 के अनुसार कम्पनियों का क्रम संख्या
1.	भंडार एवं पूर्जे की न्यूनतम/अधिकतम सीमा का तय न होना	5	ए-01, ए-06, ए-07, ए-08, ए-10
2.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यापार के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का अभाव	1	ए-10
3.	अचल परिसम्पतियों की संचिका का पूर्ण विवरण जैसे मात्रात्मक विवरण तथा उसकी स्थिति, का संधारण नहीं होना	3	ए-01, ए-04, ए-08

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

1.31 2011-12 में लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न सा.क्षे.उ. में ₹ 25.16 करोड़ की वसूली हेतु प्रबंधन को इंगित किये गये थे, जिनमें से ₹ 31.16 लाख के मामले झा.रा.वि.बो. द्वारा स्वीकार किये गये, अपितु अभी तक झा.रा.वि.बो. द्वारा वसूली नहीं की गयी थी (सितम्बर 2012)।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प्र.) को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.32 निम्न तालिका झा.रा.वि.बो. के लेखों पर सी.ए.जी. द्वारा जारी किये गये पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प्र.) को विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दिखलाती है:

क्र. सं.	सांविधिक निगम	वर्ष जहाँ तक पृ.ले.प्र. विधायिका में रखी गयी	वर्ष जहाँ तक पृ.ले.प्र.विधायिका के समक्ष नहीं रखी गयी		
			पृ.ले.प्र. का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	विलम्ब का कारण
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	--	2001-02	20.08.2010	झा.रा.वि.बो. द्वारा पर्याप्त मात्रा में पृ.ले.प्र. का मुद्रण नहीं करने के कारण विधायिका के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया।
			2002-03	07.02.2011	
			2003-04	07.03.2011	
			2004-05	07.06.2011	
			2005-06	09.11.2011	
			2006-07	15.12.2011	
			2007-08	31.01.2012	
			2008-09	30.03.2012	
			2009-10	30.03.2012	
			2010-11	26.04.2012	

पृ.ले.प्र. को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर विधायिकी नियंत्रण कमजोर होता है एवं बाद में वित्तीय जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

प्रधान महालेखाकार द्वारा इस विषय को प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2012)।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.33 झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा.रा.वि.नि.आ.) का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के तहत अप्रैल 2003 में विद्युत टैरिफ का युक्तिसंगत व्याख्या, विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण के संबंध में सुझाव देने और लाईसेंस निर्गत करने हेतु किया गया है। 2011-12 के दौरान, झा.रा.वि.नि.आ. ने वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं पर दो एवं अन्य मामलों में 24 आदेश जारी किये।

1.34 चिन्हित लक्ष्यों के साथ विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार के मध्य एक संयुक्त वचनबद्धता पर समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर अप्रैल 2001 को किया गया। महत्वपूर्ण लक्ष्यों के संबंध में अभी तक हुई उपलब्धि की प्रगति को निम्न तालिका में बतलाया गया है।

क्र. सं.	लक्ष्य		उपलब्धि [15]
1.	बिक्री हेतु प्राप्त विद्युत के 18 *प्रतिशत* तक तंत्र हानि को कम करना		तंत्र हानि घटकर 35.04 प्रतिशत रह गयी (नवम्बर 2010)
2.	100 प्रतिशत उपभोक्ताओं का मीट्रिकरण	एकल चरण (शहरी)	87.78 प्रतिशत
		एकल चरण (ग्रामीण)	64.13 *प्रतिशत*
		निम्न विभव (एल.टी.)	96.03 प्रतिशत
		उच्च विभव (एच.टी.)	98.14 प्रतिशत

[15] झा.रा.वि.बो. ने अबतक उपलब्धि की सूचना नहीं भेजी थी। इसलिए नवम्बर 2010 के आँकड़े लिए गए थे।